

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(बजट अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक:: 22 सितम्बर, 2021

आहरण एवं वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर,
मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलन्दशहर, मथुरा, आगरा, बरेली, बिजनौर, मुरादाबाद, फर्रुखाबाद,
हमीरपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुरखीरी,
अयोध्या, गोण्डा, मुख्यालय, मऊ, पडरौना कुशीनगर, बलरामपुर एवं औरैया

चालू वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए अनुदान संख्या-089 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-
"2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर-800-अन्य व्यय आयोजनेत्तर-03-वाणिज्य कर आयुक्त का
अधिष्ठान" के अधीन संलग्न विवरण के अनुसार धनराशि का आवंटन किया जाता है।

कृपया आवंटित की जा रही धनराशि का समुचित उपयोग कर लिये जाने की कार्यवाही से
मुख्यालय को भी अवगत कराये।

यह आवंटन किसी भी प्रकार से व्यय करने का अधिकार प्रदान नहीं करता, जब तक
कि बजट मैनुअल और वित्तीय हस्त-पुस्तिका के संगत नियमों एवं अन्य आदेशों/शासनादेशों
के अन्तर्गत जहाँ शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, वहाँ
ऐसी स्वीकृति व्यय करने से पूर्व सक्षम स्तर से न प्राप्त कर ली जाये। अतः सक्षम
अधिकारी से नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त करके ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये।

उक्त आवंटित धनराशि किसी भी दशा में पी0एल0ए0/बैंक/डिपाजिट खाते में नहीं
रखी जायेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि इस आवंटन की प्रविष्टि बजट नियन्त्रण पंजिका के पृष्ठ
संख्या-02 पर कर ली गयी है।

संलग्नक-: यथोपरि।

(शैलेश गिरि)

एडीशनल कमिश्नर (लेखा) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पू0प0सं0 एवं दिनांक यथोपरि।

प्रतिलिपि :-निम्नलिखित को उपर्युक्त संलग्नकों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1:-मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलन्दशहर, मथुरा, आगरा, बरेली,
बिजनौर, मुरादाबाद, फर्रुखाबाद, हमीरपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, लखनऊ,
सीतापुर, हरदोई, लखीमपुरखीरी, अयोध्या, गोण्डा, मुख्यालय, मऊ, पडरौना कुशीनगर,
बलरामपुर एवं औरैया।

2:-उपमहालेखाकार, राजकोष एवं वी0एल0सी0, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) -प्रथम, उत्तर
प्रदेश, इलाहाबाद।

(शैलेश गिरि)

एडीशनल कमिश्नर (लेखा) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आहरण एवं वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर,
मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलन्दशहर, मथुरा, आगरा, बरेली, बिजनौर, मुरादाबाद, फर्रुखाबाद,
हमीरपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुरखीरी,
अयोध्या, गोण्डा, मुख्यालय, मऊ, पडरौना कुशीनगर, बलरामपुर एवं औरैया

चालू वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए अनुदान संख्या-089 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-
"2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर-800-अन्य व्यय आयोजनेत्तर-03-वाणिज्य कर आयुक्त का
अधिष्ठान" के अधीन संलग्न विवरण के अनुसार धनराशि का आवंटन किया जाता है।

कृपया आवंटित की जा रही धनराशि का समुचित उपयोग कर लिये जाने की कार्यवाही से
मुख्यालय को भी अवगत कराये।

यह आवंटन किसी भी प्रकार से व्यय करने का अधिकार प्रदान नहीं करता, जब तक
कि बजट मैनुअल और वित्तीय हस्त-पुस्तिका के संगत नियमों एवं अन्य आदेशों/शासनादेशों
के अन्तर्गत जहाँ शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, वहाँ
ऐसी स्वीकृति व्यय करने से पूर्व सक्षम स्तर से न प्राप्त कर ली जाये। अतः सक्षम
अधिकारी से नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त करके ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये।

उक्त आवंटित धनराशि किसी भी दशा में पी0एल0ए0/बैंक/डिपाजिट खाते में नहीं
रखी जायेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि इस आवंटन की प्रविष्टि बजट नियन्त्रण पंजिका के पृष्ठ
संख्या-02 पर कर ली गयी है।

संलग्नक-: यथोपरि।

(शैलेश गिरि)

एडीशनल कमिश्नर (लेखा) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पु0प0सं0 एवं दिनांक यथोपरि।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को उपर्युक्त संलग्नकों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
1:- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलन्दशहर, मथुरा, आगरा, बरेली,
बिजनौर, मुरादाबाद, फर्रुखाबाद, हमीरपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, लखनऊ,
सीतापुर, हरदोई, लखीमपुरखीरी, अयोध्या, गोण्डा, मुख्यालय, मऊ, पडरौना कुशीनगर,
बलरामपुर एवं औरैया।

2:- उपमहालेखाकार, राजकोष एवं वी0एल0सी0, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) - प्रथम, उत्तर
प्रदेश, इलाहाबाद।

(शैलेश गिरि)

एडीशनल कमिश्नर (लेखा) वाणिज्य कर

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

